

प्रेस-विज्ञप्तिथाना- महाराजगंजअवैध तमंचा कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 07.06.22 को उ0नि0 कमलेश यादव मय हमराह द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन भीलमपुर गेट से संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग से मय गिरफ्तार शुदा एक नफर अभियुक्त परभंश गोड़ पुत्र स्व0 नारद गोड़ सा0 सैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष के पास से एक अदद तमंचा .315 बोर व एक व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर समय करीब 09.35 मिनट पर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 220/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 220/2022 धारा 3/25 A. ACT थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 274/2021 धारा 498 A , 323 भादवि थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. परभंश गोड़ पुत्र स्व0 नारद गोड़ सा0 सैदपुर थाना महाराजगंज आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी- एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-SO श्री ब्रह्मदीन पाण्डेय के नेतृत्व में उ0नि0 कमलेश यादव मय हमराह का0 अरविन्द यादव व का0 कलामुद्दीन अंसारी थाना महाराजगंज आजमगढ़।

थाना -बिलरियागंजदुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार।घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.06.2022 को वादिनी थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ के शिकायत प्रकोष्ठ के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/2022 धारा 376/323/504/506/312 भा0द0वि0 बनाम अवधेश पुत्र रामलखन निवासी ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 07.06.2022 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अवधेश उपरोक्त को अण्डाखोर तिराहे से समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

1. अवधेश पुत्र रामलखन निवासी ग्राम छिछोरी थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 114/2022 धारा 376/323/504/506/312 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी स्थान

- अण्डाखोर तिराहा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्यथाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
- 2.का0 धीरज कुमार त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 तेज बहादुर सिंह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

4. का0 अतुल सिंह यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

### थाना- दीदारगंज

#### किशोरी का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैक मेल कर दुराचार करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व का विवरण-** दिनांक 04.06.2022 को थाना दीदारगंज के एक गांव की वादिनी(किशोरी) द्वारा थाना स्थानीय पर सूचना दिया गया कि अरमान पुत्र दिलशाद ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.22 को रात्रि में शौच के लिए बाहर जा रही थी। वहा पर पहुंच कर अरमान द्वारा दुष्कर्म करने कोशिश की गयी। किशोरी द्वारा मना करने एवं इंकार करने पर इसने वीडियो वायरल करने की धमकी दी गयी। पूर्व में भी अरमान द्वारा किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया है और किशोरी के परिवार वालों को भी जान से मारने की धमकी दी गयी, के सम्बन्ध में पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 141/2022 धारा 376,506 भा0द0वि0 व व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अरमान पुत्र दिलशाद ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहा था।

#### गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 07.06.2022 को थानाध्यक्ष दीदारगंज कौशल पाठक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अरमान पुत्र दिलशाद अहमद ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज आजमगढ़ को अभियुक्त के घर ग्राम नौहरा से समय करीब 5.05 बजे हिरासत पुलिस /गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

#### पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 141/22 धारा 376,506 भा0द0वि0 व 3(2)5 SC/ST ACT व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना दीदारगंज आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्त

• अरमान पुत्र दिलशाद अहमद ग्राम नौहरा थाना दीदारगंज आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष

#### गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. (थानाध्यक्ष) श्री कौशल कुमार पाठक का0 सौरभ पाल का0 प्रदीप कुमार पाल थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

### थाना अतरौलिया

#### 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**1. पूर्व का विवरण-** दिनांक 06.06.2022 को अभियुक्तगण 1. कमलेश सिंह पुत्र विजयनारायण सिंह 2. अमरेश सिंह पुत्र विजयनारायण सिंह 3. द्विगविजय सिंह उर्फ नान्हू पुत्र कमलेश सिंह निवासीगण पकरडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ ने वादी हरीराम गोड पुत्र टिहुली गोड निवासी पकरडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के दरवाजे पर आकर वादी द्वारा जानवरों के लिए बनाई गयी मण्डई व करकट को कब्जा करने की नियति से उजाड़ कर फेंक दिये तथा वादी के घर की महिलाओं द्वारा विरोध करने पर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डन्डे से मार पीट किये तथा जानकारी होने पर वादी द्वारा पूछा गया तो वादी को भी मारने के लिए दौड़ा लिये तथा वादी जब अपने घर में भाग गया तो जान से मारने की धमकी देते हुए चले। वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर दिनांक 06.06.2022 को मु0अ0सं0 198/22 धारा 323/327/352/427/504/506 IPC थाना अतरौलिया जिला आजमगढ़ बनाम अभियुक्तगण कमलेश सिंह आदि 3 नरफ उपरोक्त के उपरोक्त के पंजीकृत किया गया था।

दिनांक 06.06.22 को उ0नि0 शैलेश यादव मय हमराही द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण कमलेश सिंह पुत्र विजय नारायण एवं द्विगविजय सिंह उर्फ नान्हू पुत्र कमलेश निवासी पकड़डीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ को मदियापार मोड़ के पास से समय 7.00 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

#### पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 198/22 धारा 323/327/352/427/504/506 IPC थाना अतरौलिया आजमगढ़

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कमलेश सिंह पुत्र विजयनारायण सिंह निवासीगण पकरडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. द्विगविजय सिंह उर्फ नान्हू पुत्र कमलेश सिंह निवासीगण पकरडीहा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

1. उ0नि0 शैलेश यादव
2. का0 अखिलेश यादव
3. का0 प्रवीण कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

### थाना कन्धरापुर

धारा 304 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

**घटना का विवरण** - वादी राजू रंजन राय पुत्र श्री सुबास चन्द्र राय, ग्राम- बरजी थाना- कन्धरापुर जनपद- आजमगढ़ ने तहरीर दिये कि ग्राम- असाधरपट्टी (जोलहापुर) में विपिन कुमार राय का जिग- जैग बी.के.ओ के नाम से ईट भट्टा है जिस पर ईट पथाई हेतु काफी संख्या में मजदूर काम करते हैं । दिनांक 5/06/22 को समय करीब 9.30 बजे रात्रि में मजदूर देबे उर्फ सूरज शाह पुत्र सुखदेव शाह निवासी ग्राम चचैइहा खाँ थाना- कटघर, जिला- विलासपुर छत्तीसगढ़ को मजदूर अशोक कुमार चौहान पुत्र छत्तराम ग्राम- शुक्लाभाटा थाना- पामगढ़, जिला- जानकी चापा, छत्तीसगढ़ और भागतत् केवट पुत्र धनाऊ ग्राम- गोपालपुर, जिला विलासपुर, छत्तीसगढ़ ने शराब के नशे में रंजीशन देबे उर्फ सूरज को लकड़ी के फट्टे से पीठ पर बुरी तरह मारा- पीटा जिससे उसकी मृत्यु हो गई। के सम्बन्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 158/2022 धारा 304 भादवि पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दि0 07.06.2022 को SO ज्ञानचन्द शुक्ल मय हमराह मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्त 1.अशोक कुमार चौहान पुत्र छत्तराम चौहान निवासी ग्राम शुक्लाभाटा थाना पामगढ़ जनपद छत्तीसगढ़ 2. भागवत केवट पुत्र धनाऊ निवासी ग्राम गोपालपुर जनपद विलासपुर जनपद छत्तीसगढ़ को समय 04.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अशोक कुमार चौहान पुत्र छत्तराम चौहान निवासी ग्राम शुक्लाभाटा थाना पामगढ़ जनपद छत्तीसगढ़ उम्र 30 वर्ष ।
2. भागवत केवट पुत्र धनाऊ निवासी ग्राम गोपालपुर जनपद विलासपुर जनपद छत्तीसगढ़ उम्र करीब 55 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोग** - 1. मु0अ0सं0 158/2022 धारा 304 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़ ।

बरामदगी- लकड़ी का टुकड़ा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. SO ज्ञानचन्द शुक्ला का0 उपेन्द्र कन्नौजिया का0 नागेन्द्र सिंह यादव थाना कन्धरापुर

### थाना- देवगांव

#### गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

दिनांक 07.06.2022 को उ0नि0 उमेशचन्द यादव मय हमराह द्वाराचेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन करते हुए मोलनापुर ओवरब्रिज के पास मौजूद थे कि सूचना मिली कि थाने का गोवध के मुकदमे से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो0 गालिब पुत्र जुबेर सा0 नरायनपुर नेवादा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ जो मसीरपुर तिराहे मौजूद है तत्काल उ0नि0 मय हमराह द्वारा प्रस्थान कर मसीरपुर तिराहा पर आये जहाँ एक व्यक्ति खडा हुआ दिखाई दिया और पुलिस बालो को देखकर भागना चाहा कि मौके पर ही पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो बताया कि मेरा नाम मो0 गालिब पुत्र जुबेर अहमद सा0 नरायनपुर नेवादा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ है अभियुक्त थाना स्थानीय से मु0अ0सं0 177/22 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त है । पकडे गये व्यक्ति को अपराध व धारा से अवगत कराते हुए अभियुक्त

को समय करीब 09.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

### अभियोग पंजीकृत -

मु0अ0स0 177/2022 धारा 307 भा0द0वि0 व 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम

गिरफ्तारी का स्थान - मसीरपुर तिराहा, दिनांक 07.06.2022, समय 09.05 बजे

### गिरफ्तार अभियुक्त—

मो0 गालिब पुत्र जुबेर सा0 नरायनपुर नेवादा थाना देवगाव जनपद आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली टीम -

(1) उ0नि0 उमेशचन्द्र यादव का0 जितेन्द्र कुमार का0 मनोज कुमार का0 अरविन्द गौतम थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

### थाना- गम्भीरपुर

### मारपीट करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.06.2022 को वादी श्री शशिकान्त राव पुत्र चन्दिका प्रसाद ग्राम धरनीपुर विसया थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ प्रार्थनापत्र दिये कि दिनांक 04.06.2022 को समय करीब 8.15 बजे रात में छोटा भाई रमाकांत मोटर साइकिल से सामान लेकर आ रहा था कि रास्ते में घर के पास मेरे गाँव का ही सोनू यादव पुत्र मुख्खू यादव अपने दो साथियों के साथ रास्ते में खड़ा था कि गाडी की लाइट चेहरे पर जाने के कारण उक्त सभी लोग मेरे भाई रमाकान्त को हाकी वा डन्डे से गाली गुप्ता देते हुए मारने पीटने लगे तब मेरे भाई ने सोर मचाया तो मेरे पिता जी चन्द्रिका प्रसाद दौडकर मौके पर पहुचे तो वो लोग मेरे पिता को भी हाकी डंडे से गाली गुप्ता देते हुए तथा जाति सुचक शब्द कहते हुए मारने पिटने लगे जिससे मेरे पिता जी के सर में गम्भीर चोटे आयी है जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 193/2022 धारा 323,504,506,308 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

दिनांक- 07.06.2022 को थानाध्यक्ष राम प्रसाद बिन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त के वांछित तीनों अभियुक्तो को कस्बा गंभीरपुर के पास से समय करीब 08.15 बजे गिरफ्तार किया गया बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय भेजा गया।

### पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 193/2022 धारा 323,504,506,308 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त .....

- 1- सोनू यादव पुत्र मुख्खू यादव निवासी ग्राम धरनीपुर विषया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 2- सचिन गौड़ पुत्र सूरज उर्फ खुसडू गौड़ निवासी गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़
- 3- संजीव यादव पुत्र चन्द्रजीत यादव निवासी गंभीरपुर मठिया थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

### गिरफ्तार करने वाली टीम.....

थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का.नीरज कुमार यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

का. सौरभ सरोज थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

म.का. शीलू यादव थाना गम्भीरपुर आजमगढ़